न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौडगढ़
पीठासीन अधिकारीः– चन्द्रशेखर भण्डारी, RAS

प्रकरण सं. 62/2020 प्रार्थना पत्र
GCMS No.- 2020/00159

नारायणलाल पिता शोलाल गायरी, आयु 32 साल, निवासी फलवा, तहसील निम्बाहेड़ा।

– प्रार्थी

//बनाम//

राज. सरकार जरिये तहसीलदार, निम्बाहेड़ा, जिला चित्तोडगढ़।

– विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. भू राज.अधि.
श्री ज्ञानचन्द धाकड़, अधिवक्ता प्रार्थी, उपस्थित

निर्णय दिनांक 15.02.2021

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी, स्वामित्व व आधिपत्य की पुश्तैनी आराजीयात वाके मौजा फलवा तहसील निम्बाहेड़ा खाता संख्या 25 की आराजी नं. 187, 627, 630, 835/630 कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त भूमि का सहमति से बंटवारा होकर आराजी नं. 630 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा तथा आराजी नं. 187 रकबा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि नारायण, बदाम, सुनिता पिता शोलाल, उदी बेवा शोलाल, बगदी, राजी पिता मांगीलाल गायरी के हक हिस्से में आई। उक्त साबिक आराजी नं. 630 व 187 के नवीन आराजी नं. 297 रकबा 0.8500 हैक्टेयर तथा आराजी नं. 355 रकबा 0.0100 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.8600 हैक्टेयर है। उक्त आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी की पुश्तैनी आराजीयात है तथा प्रार्थी की उक्त आराजीयात की नकल जमाबन्दी में रेवेन्यु कर्मचारियों द्वारा बंटवारे के पश्चात दिनांक 08.02.2012 को श्रीमती बगदी बाई व राजी बाई पिता मांगीलाल गायरी द्वारा उपरोक्त वर्णित आराजी नं. 630 व 187 में से अपना सम्पूर्ण हिस्सा अपने भतीजे नारायण के हक में त्याग कर दिया तथा आराजी नं. 627 रकबा 1 बिस्वा व [illegible] नं. 628 रकबा 4 बिस्वा आता चाह संयुक्त रूप से भाई व भतीजे के [illegible] त्याग की गई जिसका रजिस्टर्ड हक त्याग विलेख संलग्न है। लिपिकीय [illegible] से उक्त हक त्याग विलेख के नामान्तरकरण का अंकन जो प्रार्थी के [illegible] हकत्याग किया [illegible] नहीं हुआ तथा हक त्यागकर्ता बगदी बाई व राजी बाई का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर दिया परन्तु प्रार्थी के नाम उक्त हिस्सा दर्ज रेकार्ड नहीं होने से हकत्यागकर्ता का हिस्सा शेष सभी खातेदारों को समान रूप से प्राप्त हो गया जो गलत है। प्रार्थी के पक्ष में हक त्याग होने से हक त्याग कर्ता का हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:35:59 IST
Reason: SelfAttested

Web Copy - Not Official

प्रार्थी के नाम दर्ज होना चाहिए था जो सहवन से नहीं हुआ। इसलिए प्रार्थी का नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे तथा दिनांक 08.02.2012 को किये गये हक त्याग अनुसार नवीन आराजी नं. 297 व 355 में से हकत्यागकर्ता का सम्पूर्ण हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रार्थी के कथनों को स्वीकार करते हुए हक त्याग सिर्फ नारायण पिता शोलाल गाडरी के नाम किया जाना बताया परन्तु राजस्व रेकार्ड में सभी खातेदारों के दर्ज होना स्वीकार किया तथा संशोधन प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया।

बहस सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रार्थी ने नकल जमाबन्दी संवत 2073-76 ग्राम फलवा की खाता संख्या 92, पंजीकृत हकत्या गपत्र दिनांक 08.02.2012, नकल जमाबन्दी संवत 2059-62 ग्राम फलवा की खाता संख्या 25 की प्रतियां प्रस्तुत की है। इस जमाबन्दी में अंकन अनुसार इन्तकाल संख्या 1196 हक त्याग से बगदी एवं रामी का नाम हटाने से खेमा एवं नारायण के नाम दर्ज होना अंकित है। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में नारायण, बदाम, सुनीता पिता शोलाल व उदी पत्नी शोलाल गाडरी के नाम संयुक्त रूप से दर्ज हो गई है। पंजीकृत हक त्याग पत्र दिनांक 08.02.2012 में खेमा व नारायण के हक में बगदी व रामी का हिस्सा हक त्याग किया गया है। राजस्व रेकार्ड से बगदी व रामी का नाम विलोपित हो चुका है परन्तु सभी खातेदारों के नाम बराबर दर्ज हो गया है जो त्रूटीपूर्ण है। परन्तु उक्त त्रूटी रेकार्ड में रद्दोबदल के कारण नहीं होकर नामान्तरकरण गलत दर्ज हो जाने के कारण हुई है । नामान्तरकरण में हुई गलती को सुधारने के लिए नामान्तरकरण निरस्त किये जाने की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित होता है। यह प्रकरण धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट के प्रावधानों के तहत सहायता योग्य नहीं है। इसी प्रकार प्रार्थी ने सभी प्रभावित खातेदारों को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है जो भी त्रूटीपूर्ण है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से वांछित सहायता प्रदान नहीं की जा सकती है। प्रार्थी विधिवत रूप से सक्षम राजस्व न्यायालय में उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर दाद हासिल करें। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 15.02.2021 को सरे इजलास सुनाया जाकर कम्प्युटराईज कराया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chandra Shekhar Bhandari
Date: 2021.03.17 17:35:59 IST
Reason: SelfAttested

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official